

प्रारूप-23.1

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में धुर्मा-कुण्डी मोटर मार्ग के कि०मी० 02 से मोख मल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अनापति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मोख मल्ला

तहसील घाट, जिला चमोली

अनापति प्रमाण पत्र

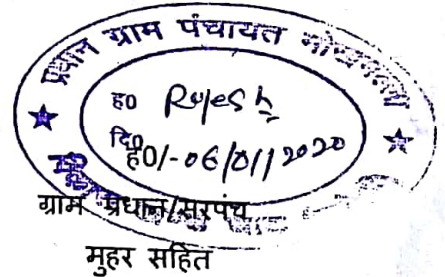
उत्तराखंड में जनपद चमोली के अन्तर्गत धुर्मा-कुण्डी मोटर मार्ग के कि०मी० 02 से मोखमल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 0.000 हे० आरक्षित वन भूमि 3.275 हे० सिविल सोयम भूमि 0.00 हे०, वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 3.275 हे० वन भूमि का लो० नि० वि० विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मोख मल्ला द्वारा दिनांक 03/06/17 की संपन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरांत ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मोख मल्ला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत... मोख मल्ला
विकास खण्ड... 05/01/2020



नोट:-यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेंसी को उपलब्ध कराया जायेगा।

शोबन सिंह नेगी
बी.डी.सी.
अध्यक्ष सदस्य क्षेत्र पंचायत संमेलन
विकासखण्ड घाट (चमोली)

मुख मल्ला